मध्यप्रदेश विधान सभा

सदन की कार्यवाही का

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग - एक)

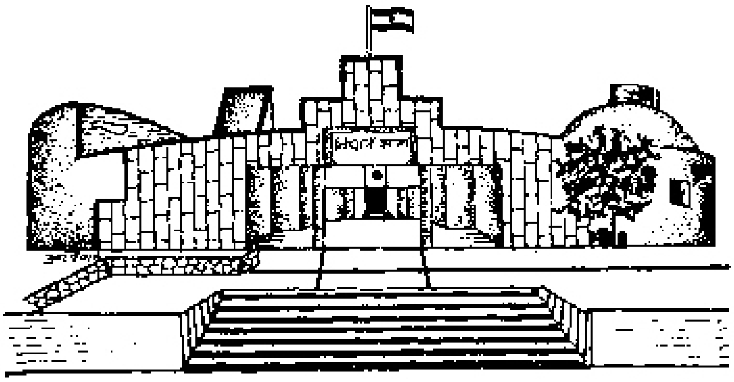

नवीन विधान सभा भवन, भोपाल

षोडश विधान सभा (द्वितीय सत्र)

दिनाँक 7 से 19 फरवरी, 2024

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

विषय-सूची
षोडश विधान सभा - द्वितीय सत्र
दिनाँक 7 से 19 फरवरी, 2024

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ

1. बुधवार, दिनाँक 7 फरवरी, 2024
1. राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूहगान
2. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण
3. अध्यक्षीय घोषणा : राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ पढ़े जाने एवं शेष समस्त पैराग्राफ पढ़े हुए माने जाना.
4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति
5. नाम निर्दिष्ट समितियों की घोषणा
(1)कार्य मंत्रणा समिति
(2)गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
(3)विशेषाधिकार समिति
(4)सदस्य सुविधा समिति

2. गुरूवार, दिनाँक 08 फरवरी, 2024
1. निधन का उल्लेख
2. प्रश्नोत्तर
3. अध्यक्षीय घोषणा : गत सत्र में सदन में की गई अध्यक्षीय घोषणा के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होना.
4. शपथ: माननीय सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
5. स्थगन प्रस्ताव : हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति
6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन (स्वीकृत)
7. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति. (स्वीकृत)
8. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना
9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ

10. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना
11. अध्यक्षीय घोषणा : ध्यानाकर्षण की सूचनाएं एवं सदस्यों के आवेदनों की प्रस्तुति आगामी कार्य दिवस में लिया जाना.
12. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन
13. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा
14 . अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
15. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमश:)
16. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
17. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमश:) (चर्चा अपूर्ण)

3. शुक्रवार दिनाँक 9 फरवरी, 2024

1. विशेष उल्लेख : विधान सभा विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होने की अध्यक्षीय घोषणा के लिए आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाना.
2. प्रश्नोत्तर
3. स्वागत उल्लेख : डॉ.गौरीशंकर शेजवार, पूर्व मंत्री एवं विद्यालयीन छात्रगण की उपस्थिति संबंधी.
4. विशेष उल्लेख : शून्यकाल में नए विधायकों को अधिक अवसर देने की अध्यक्षीय घोषणा के प्रति सदन की ओर से धन्यवाद दिया जाना.
5. नियम 267-क के अधीन विषय
6. पत्रों का पटल पर रखा जाना
7. राजस्व मंत्री द्वारा घोषणा : तहसीलदार को निलंबित किया जाना
8. ध्यानाकर्षण :
   (1) सागर जिले में पाला एवं तुषार से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति.
   (2) प्रदेश में स्थापित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रयोगशालाओं में अनियमितता होना.
9. आवेदनों की प्रस्तुति
10. अध्यक्षीय घोषणा : ''आवेदनों की प्रस्तुति'' को पूर्वानुसार ''याचिकाओं की प्रस्तुति'' माना जाएगा.

बैठक क्र. **कार्यवाही की विषय सूची** **पृष्ठ**

---

11. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान
12. अध्यक्षीय घोषणा : भोजनावकाश न होना
13. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)
14. अध्यक्षीय घोषणा : अशासकीय कार्य बाद में लिए जाने विषयक
15. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)
16. शासकीय विधि विषयक कार्य :
मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024)
(पुर:स्थापित एवं पारित)
17. अध्यक्षीय व्यवस्था : विनियोग विधेयक की कॉपी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाने विषयक
18. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनाँक 7 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (चर्चा अपूर्ण)
19. अध्यक्षीय घोषणा : कार्यसूची में अंकित दो अशासकीय संकल्प को अगले अशासकीय कार्य के दिन लिया जाना.
20. अशासकीय संकल्प :
रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया में नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई वर्ष पूर्व घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सतना-सेमरिया एवं सेमरिया बायपास (रिंग रोड) होकर सिरमौर-डभौरा मार्ग का निर्माण किया जाना (अस्वीकृत)

4. सोमवार दिनाँक 12 फरवरी, 2024

1. प्रश्नोत्तर
2. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख :
बैतूल जिले में एक आदिवासी का अपहरण होना
3. अध्यक्षीय घोषणा : नियम 267-क के अधीन विषय
4. पत्रों का पटल पर रखा जाना
5. अध्यक्षीय घोषणा : माननीय सदस्यों को सत्र से संबंधित साहित्य सूचना कार्यालय से प्राप्त करने विषयक
6. ध्यानाकर्षण :
(1) श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में पदस्थ विद्युत कर्मियों द्वारा कृषि उपभोक्ताओं पर नियम विरुद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण बनाए जाना
(2) निवाड़ी जिला प्रारंभ होने से लंबी अवधि के बाद भी विभागों को डी.डी.ओ. कोड प्रदाय न किया जाना

बैठक क्र. **कार्यवाही की विषय सूची** **पृष्ठ**

----

7. आवेदनों की प्रस्तुति
8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा
9. वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन
10. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन
11. वर्ष 2024-25 के आय-व्यय (लेखानुदान) का उपस्थापन
12. शासकीय विधि विषयक कार्य :
 (1) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
 (क्रमांक 1 सन् 2024) का पुरःस्थापन
 (2) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024)
 (राज्यमंत्री की अनुपस्थितिवश पुरःस्थापित न हो सका)
13. अध्यक्षीय व्यवस्था :
 श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन)
 विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) के पुर:स्थापन करने के समय
 राज्य मंत्री की अनुपस्थिति संबंधी व्यवस्था.
14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:) :
 (3) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024
 (क्रमांक 3 सन् 2024) (पुर:स्थापित)
15. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव
 पर (चर्चा का पुनर्ग्रहण)
16. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
17. बहिर्गमन : मुख्यमंत्री महोदय के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंघार,
 नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन.
18. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर
 (चर्चा का पुनर्ग्रहण एवं मुख्यमंत्री का उत्तर) (स्वीकृत)
19. नियम 267-क के अधीन विषय

5. मंगलवार दिनाँक 13 फरवरी, 2024

1. अध्यक्षीय घोषणा : प्रश्नकाल में नवनिर्वाचित सदस्यों एवं महिला सदस्यों
 के तारांकित प्रश्नोत्तरों को प्राथमिकता दी जाना
2. प्रश्नोत्तर

बैठक क्र. **कार्यवाही की विषय सूची** **पृष्ठ**

---

3. अध्यक्षीय व्यवस्था : नियम 267-क के अधीन विषय संबंधी सूचनाएँ कार्य सूची में अंकित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ली जाना.
4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख
5. पत्रों का पटल पर रखा जाना
6. ध्यानाकर्षण :
   (1) रीवा जिले सहित पंचायत जनप्रतिनिधियों का मानदेय न बढ़ाया जाना.
7. बहिर्गमन : पंचायती राज के निर्वाचित पंचों के साथ हो रहे कथित अन्याय के विरोध में काँग्रेस के सदस्य श्री अभय कुमार मिश्रा ने सदन से बहिर्गमन किया.
8. ध्यानाकर्षण (क्रमशः) :
   (2) सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में बाणसागर नहर सिंचाई योजना का लाभ कृषकों को न मिलना.
9. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति
10. शासकीय संकल्प : जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 संबंधी शासकीय संकल्प (आसंदी की अनुमति से संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ)
11. अध्यक्षीय घोषणा : शासकीय विधि विषयक कार्य संबंधी स्थायी आदेश की कंडिका 24 एवं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) को शिथिल किया जाना.
12. शासकीय विधि विषयक कार्य :
   (1) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) (पुर:स्थापित)
   (2) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) (पुर:स्थापित)
   (3) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) (पारित)
   (4) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) (पारित)
   (5) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) (पारित)

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ

13. बहिर्गमन : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पर उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन
14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)
    (6) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
    (क्रमांक 8 सन् 2024)
15. स्वागत उल्लेख : इन्दौर प्रेस क्लब के पत्रकारगण का स्वागत उल्लेख
16. वर्ष 2013-14 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान (स्वीकृत)
17. शासकीय विधि विषयक कार्य
    मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024)
    (पुर:स्थापित एवं पारित)
18. वर्ष 2016-17 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान (स्वीकृत)
19. शासकीय विधि विषयक कार्य
    मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024)
    (पुर:स्थापित एवं पारित)
20. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा (पूर्ण)
21. अध्यक्षीय घोषणा : सदन की परम्परा अनुसार लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक बिना चर्चा के पारित किया जाना
22. वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान
23. वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों पर संशोधन (वापस)
    लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत
24. शासकीय विधि विषयक कार्य :
    मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
    (क्रमांक 7 सन् 2024) (पुर:स्थापित एवं पारित)
25. नियम 267-क के अधीन विषय
26. अध्यक्षीय घोषणा : सदन के समय में वृद्धि विषयक
27. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमश:)

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ

6. बुधवार दिनाँक 14 फरवरी, 2024
1. बधाई एवं शुभकामनाएं : बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सदन को बधाई एवं शुभकामनाएं.
2. प्रश्नोत्तर
3. बहिर्गमन : नल-जल योजनाओं संबंधी विधायकों के प्रश्नों की जाँच समय-सीमा में पूरी कराये जाने संबंधी मांग पर {तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1783)} शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन.
4. पत्रों का पटल पर रखा जाना
5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख :
   बैतूल जिले मे एक आदिवासी युवक पर अत्याचार की घटना
6. अध्यक्षीय व्यवस्था :
   श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के आसन के पास कुछ माननीय सदस्यों के आसंदी की तरफ पीठ करके चर्चा न करने संबंधी.
7. ध्यानाकर्षण :
   (1) शिवपुरी जिले में आर. बी. सी. नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलना
   (2) जबलपुर नगर का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिलना
   (3) प्रदेश की मृदा परीक्षण प्रयोग शालाएं बंद होना
   (4) भिण्ड नगर पालिका परिषद् में आर्थिक अनियमितता होना
   (5) नवीन मैहर जिले में विभागों के प्रशासकीय कार्यालय भवन न बनाए जाना.
   (6) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिष्ठाता की भर्ती में आरक्षण का पालन न किया जाना.
   (7) माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा से अनेक छात्र-छात्राएं परीक्षा देने से वंचित होना.
   (8) दतिया एवं आसपास के जिलों में निजी खातेदारों के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को शासकीय घोषित किया जाना.

बैठक क्र.	कार्यवाही की विषय सूची	पृष्ठ
	(9) शाजापुर बस स्टैण्ड पर बनाई जा रही दुकानों का कार्य भुगतान के अभाव में बंद होना.	
	(10) इंदौर-बुधनी रेलमार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता होना.	
	(11) गुन्नौर क्षेत्र की नगर परिषद् ककहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता होना.	
	(12) सागर जिले के नरयावली क्षेत्र में नल जल योजना का कार्य पूर्ण न होना.	
	(13) बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना का लाभ कृषकों को न मिलना.	
	(14) श्योपुर जिले के वीरपुर थाना स्वत्व की जमीन पर अतिक्रमण होना.	
	8. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति	
	9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.	
	10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा. प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाना.	
	11. नियम 267-क के अधीन विषय	
	12. सत्र का समापन	
	13. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना: प्रस्ताव (स्वीकृत)	
	14. राष्ट्रगान : ‘जन-गण-मन’ का समूह-गान	
	15. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना :- घोषणा.	

षोडश विधान सभा के द्वितीय सत्र संबंधी परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"	:	मंत्रि-परिषद् सूची
परिशिष्ट "दो"	:	माननीय सदस्यों की क्षेत्रवार वर्णात्मक सूची
परिशिष्ट "तीन"	:	सत्र आमंत्रण की अधिसूचना
परिशिष्ट "चार"	:	सत्र आमंत्रण संबंधी पत्रक भाग-दो
परिशिष्ट "पांच"	:	बैठकों की निर्धारित दिनदर्शिका
परिशिष्ट "छः"	:	बैठकों की सामान्य सूची
परिशिष्ट "सात "	:	सत्र में बैठकों की सामान्य सूची (पुनरीक्षित)
परिशिष्ट "आठ "	:	सत्र में बैठकों की प्रथम पुनरीक्षित सामान्य सूची
परिशिष्ट "नौ "	:	विभागवार प्रश्नोत्तरों के लिए निश्चित दिनाँक
परिशिष्ट "दस"	:	सत्र संबंधी संक्षिप्त (सांख्यिकीय) जानकारी
परिशिष्ट "ग्यारह"	:	बैठकों का विषयवार एवं दिनाँकवार समय विवरण (सारांश)

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 7 फरवरी, 2024 (18 माघ, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

(सदन द्वारा राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई)

2. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

पूर्वाह्न 11:09 बजे श्री मंगुभाई पटेल, राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ.

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के पश्चात् पूर्वाह्न 11:27 बजे चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.

राज्यपाल महोदय के प्रस्थान के पश्चात् इंडियन नेशनल कांग्रेस के कतिपय सदस्यों द्वारा अपने आसनों पर खड़े होकर पोस्टर्स का प्रदर्शन किया गया एवं नारेबाजी की गई.

3. अध्यक्षीय घोषणा

राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ पढ़े जाने एवं शेष समस्त पैराग्राफ पढ़े हुए माने जाना

अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि :- "राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ पढ़े गए हैं शेष समस्त पैराग्राफ पढ़े हुए एवं अभिभाषण पटल पर रखा माना जाएगा."

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं."

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने इसका समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि :- "राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 8 एवं 12 फरवरी, 2024 का समय नियत करता हूँ. जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज सोमवार दिनांक 7 फरवरी, 2024 को सायंकाल 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं."

5. नाम निर्दिष्ट समितियों की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के क्रमश: नियम 203(1), 208(1), 225(1) तथा 232, के अधीन वर्ष 2024-25 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नांकित सभा समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को एतद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया:-

(1) कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
2. श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री
3. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य
5. श्री गोपाल भार्गव, सदस्य
6. डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य
7. श्री अजय विश्नोई, सदस्य
8. सुश्री मीना सिंह मांडवे, सदस्य
9. श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य
10. श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष
11. श्री रामनिवास रावत, सदस्य
12. श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य
13. श्री लखन घनघोरिया, सदस्य
14. श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे.

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य
2. डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
3. श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य
4. श्री शिवनारायण सिंह, सदस्य
5. श्री अभय मिश्रा, सदस्य
6. श्री देवेन्द्र कुमार जैन, सदस्य
7. श्री अम्बरीश शर्मा, सदस्य

इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(3) विशेषाधिकार समिति

1. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य
2. श्री विजयपाल सिंह, सदस्य
3. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य
4. श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य
5. श्री विष्णु खत्री, सदस्य
6. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य
7. श्री मोहन शर्मा, सदस्य
8. श्रीमती ललिता यादव, सदस्य
9. श्री अनिरुद्ध माधव मारू, सदस्य
10. श्री आरिफ मसूद, सदस्य

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(4) सदस्य सुविधा समिति

1. श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य
2. श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य
3. श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य
4. श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य
5. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्य
6. डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य
7. श्री रजनीश सिंह, सदस्य
8. श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय, सदस्य
9. श्री महादेव वर्मा (मधु वर्मा), सदस्य

श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

पूर्वाह्न 11:35 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 8 फरवरी, 2024 (19 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 8 फरवरी, 2024 (माघ 19, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किये गए : -

(1) हरदा जिले के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लगने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होना,

(2) लेह-लद्दाख में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद होना,

(3) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकलगुड़ेम में नक्सली हमले में सीपीआरएफ के जवान एवं भिण्ड जिले के गांव कुपावली के निवासी सहित कई जवान शहीद होना,

(4) गुना-आरोन यात्री बस के डम्पर से टकराने से अनेक यात्रियों की जलने से मृत्यु होना.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किये गए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.11 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11:22 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 91 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 118 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय घोषणा

गत सत्र में सदन में की गई अध्यक्षीय घोषणा के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होना

अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि :- "गत सत्र में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में, मेरे द्वारा विचार कर दिनांक 8 अगस्त, 2023 को जारी पत्रक अनुसार, अध्यक्ष के स्थाई आदेश के अध्याय- तीन "प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न" के अंतर्गत कण्डिका 13-क के पश्चात् संशोधन द्वारा अंत: स्थापित नवीन कण्डिका 13-ख को विलोपित कर दिया गया है. इसमें यह प्रावधान था कि विधान सभा के किसी कार्यकाल के सत्रों में सदन की बैठकों हेतु प्राप्त प्रश्नों की वे सूचनाएं, जो स्वीकृत होकर विभागों को उत्तर हेतु भेजी जा चुकी हों, के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर सभा के विघटन के ठीक पूर्व तक प्राप्त नहीं होने पर, सभा के विघटन पर व्यपगत माने जाएंगे.

उक्तानुसार, विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे. इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा."

4. शपथ

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-184, कसरावद के निर्वाचित सदस्य श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव का उस समय शपथ या प्रतिज्ञान नहीं हो पाया था इसलिए वे आएं और नामावली में हस्ताक्षर करें तथा शपथ ग्रहण भी करें तदुपरांत श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव द्वारा नामावली में हस्ताक्षर किए गए तथा शपथ ग्रहण की गई.

5.स्थगन प्रस्ताव

हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति

अध्यक्ष महोदय द्वारा हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की 9 सूचनाओं को देने वाले सदस्यों के नाम तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्य की अधिक तथ्यात्मक सूचना को पढ़ा गया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर तुरंत चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घटना की गंभीरता एवं शासन पक्ष द्वारा चर्चा की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए स्थगन प्रस्ताव पर सदन की सहमति से तत्काल सारगर्भित चर्चा प्रारंभ करने के लिए डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया जिससे कि तथ्य सामने आएं एवं तदुपरान्त सरकार उसका संज्ञान ले. (दैनिक कार्यसूची में अंकित राज्यपाल महोदय के प्रस्तुत कृतज्ञता अभिभाषण की चर्चा स्थगन प्रस्ताव के पश्चात् लिए जाने का निर्णय लिया गया).

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा यह अनुरोध किया गया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री महोदय को सदन में उपस्थित रहना चाहिए. सर्वश्री बाला बच्चन, सदस्य एवं उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी इसी आशय का सुझाव दिया गया. इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि -" मंत्रिपरिषद् के काफी सदस्य यहां उपस्थित हैं." सर्वश्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री, विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं घटना स्थल पर होकर आए हैं, वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं और अपने कक्ष में पूरी कार्यवाही सुन रहे हैं. जवाबदार सरकार एवं मंत्रीगण सदन में उपस्थित हैं इसीलिए विपक्ष द्वारा रखे गए स्थगन प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति प्रदान की है इसलिए गंभीरता से चर्चा प्रारंभ की जाए. पूरे मंत्रिमंडल द्वारा गंभीरता पूर्वक जवाब दिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी.

अध्यक्षीय अनुमति से ग्राह्य स्थगन प्रस्ताव पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री रामनिवास रावत, सदस्य
2. डॉ रामकिशोर दोगने, सदस्य
3. राव उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री
4. श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य
5. श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य
6. श्री विश्वास सांरग, सहकारिता मंत्री
7. श्री आरिफ मसूद, सदस्य

8. श्री सुरेश राजे, सदस्य

9. श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई)

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री रामनिवास रावत सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा हरदा क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने संबंधी घटना की न्यायिक जाँचकी घोषणा एवं पीड़ित परिजनों को मुआवजा एवं नौकरी देने की माँग के समर्थन में एवं शासन के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

(अपराह्न 1.44 बजे से 3.34 बजे तक अतंराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार दिनांक 7 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्यों एवं शासकीय संकल्प पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित किए जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक -3 सन् 2024)	30 मिनिट
3.	वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुर: स्थापन, विचार एवं पारण.	30 मिनिट
4.	वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
5.	वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा.	4 घण्टे
6.	वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक (लेखानुदान) की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	
7.	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन किये जाने के संबंध में पर्यावरण विभाग का संकल्प.	30 मिनिट

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्यों एवं शासकीय संकल्प पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

इंजी.प्रदीप लारिया, सभापति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2024 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नलिखित निर्धारित करने की सिफ ारिश :-

क्र.	अशासकीय संकल्प	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	1 (क्रमांक-01)	श्री संतोष वरकड़े	30 मिनिट
2.	2 (क्रमांक-05)	श्री सुदेश राय	30 मिनिट
3.	3 (क्रमांक-11)	श्री अभय मिश्रा	30 मिनिट

इंजी.प्रदीप लारिया, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पटल पर रखा गया .

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री(वित्त) द्वारा

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (पर्यावरण, लोक निर्माण, ऊर्जा और उद्योग विभाग) मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में वृहद पुलों के निर्माण पर निष्पादन लेखा परीक्षा पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक 3,

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड-प्रथम) मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-5,

(v) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु क्षिप्रा नदी के क्षरण पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक-6,

(vi) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकाय पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-7 एवं

(vii) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2022-23 (खण्ड-I एवं II) एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-23,

(ख) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 तथा

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 की धारा 130-क की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखा गया.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 693/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023,

(ii) क्रमांक 558-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 15 मार्च, 2023,

(iii) क्रमांक 497-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 09 मार्च, 2023,

(iv) क्रमांक 220/मप्रविनिआ/2023,दिनांक 24 जनवरी, 2023,

(v) क्रमांक 730/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 05 अप्रैल, 2023,

(vi) क्रमांक 2740/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023,

(vii) क्रमांक 1686-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,

(viii) क्रमांक 1685-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,

(ix) क्रमांक 2741/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023,

(x) क्रमांक 2896/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023,एवं

(xi) क्रमांक 1684/मप्रविनिआ/2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखे तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे गए.

10. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2023)- (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2023) को मान. राष्ट्रपति महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयक का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा.

11.अध्यक्षीय घोषणा

ध्यानाकर्षण की सूचनाएं एवं सदस्यों के आवेदनों की प्रस्तुति आगामी कार्य दिवस में लिया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि :- "आज की कार्यसूची में उल्लेखित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं एवं सदस्यों के आवेदनों की प्रस्तुति आगामी कार्य दिवस में की जायेगी."

12. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, "इस द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा मतदान के लिए दिनांक 9 फरवरी, 2024 को 2 घंटे का समय नियत करता हूँ."

13. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 7 फरवरी, 2024 को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर (1) श्री रामेश्वर शर्मा, प्रस्तावक सदस्य ने प्रारंभिक भाषण दिया :-

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास माननीय सदस्यों के संशोधनों की 1215 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से 1 संशोधन नियमानुसार नहीं था, उसे अग्राह्य किया गया है. संशोधन बहुत विस्तृत स्वरूप के हैं, इसलिए पूरे संशोधनों को न पढ़कर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा. जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्तुत हुए माने जाएंगे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे. :-

क्र.	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
1.	श्री सुरेश राजे	7
2.	डॉ. हिरालाल अलावा	8
3.	श्री विपिन जैन	9
4.	श्री प्रताप ग्रेवाल	10
5.	श्री राजन मण्डलोई	11
6.	श्री यादवेन्द्र सिंह	14
7.	श्री कमलेश्वर डोडियार	15
8.	श्री नारायण सिंह 'पट्टा'	16
9.	श्री चैन सिंह बरकड़े	17
10.	श्री मोन्टू सोलंकी	19
11.	श्री बाला बच्चन	20
12.	श्री रामनिवास रावत	23

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए.

14.अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि सदन के समय में सायं 6 बजे तक वृद्धि की जाए.

15.राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(2)	श्री बाला बच्चन
(3)	डॉ. विक्रांत भूरिया
(4)	श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(5)	डॉ. हिरालाल अलावा
(6)	श्री सोहनलाल बाल्मीक
(7)	श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(8)	डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

16. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय सदस्य डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह जी का भाषण समाप्त होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

17. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 6.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 (20 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 (माघ 20, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. विशेष उल्लेख

विधान सभा विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होने की अध्यक्षीय घोषणा के लिए आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर व्यपगत नहीं होने की, विगत दिवस अध्यक्षीय घोषणा के परिप्रेक्ष्य में, आसंदी को सदन की ओर से धन्यवाद दिया गया.
(इसके फलस्वरूप पंचदश विधान सभा के माननीय सदस्यों के लगभग 850 प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर सरकार द्वारा दिये जायेंगे.)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 100 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 108 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. स्वागत उल्लेख

प्रश्नकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन की दर्शक दीर्घा में डॉ. गौरीशंकर शेजवार, पूर्व मंत्री एवं विद्यालयीन छात्रगण की उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया.

4. विशेष उल्लेख

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शून्यकाल में नए विधायकों को अधिक अवसर देने की अध्यक्षीय घोषणा के प्रति सदन की ओर से धन्यवाद दिया गया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार :-

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया में स्थित पर्यटक स्थल पूर्वाफाल की क्षतिग्रस्त रेलिंग को ठीक न कराया जाना,
(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की प्रदेश के अनेक शहरों में पालतू एवं आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि होना,
(3) श्री महेश परमार, सदस्य की प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध न होना,
(4) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर में रिंग रोड नहीं होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होना,
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबंद्ध कॉलेजों में अनु.जाति व अनु. जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिल पाना,
(6) श्री विपीन जैन, सदस्य की मंदसौर में संचालित औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को रोका जाना,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में बैंकों का सहयोग न मिलना,
(8) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की बड़वानी जिला चिकित्सालय में नेत्र की ओटी तैयार होने के बावजूद रोगियों के ऑपरेशन शुरू न हो पाना,
(9) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की मध्यप्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाना,

(10) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की जिला भिण्ड में दिनांक 26 जनवरी 2024 को आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध न कराया जाना.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा,
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार- मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा गया.

(2) श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री द्वारा,
(क) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(ख) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23,
(ङ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23, एवं
(च) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23 पटल पर रखे गये.

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, द्वारा,
(i) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,
(ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23, तथा
(iii) एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखे गये.

(4) श्री राकेश शुक्ला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा -
कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा(1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा गया.

(5) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा,
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा गया.

(6) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति द्वारा,
कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा(1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखा गया.

(7) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन द्वारा,
(i) म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2022-23,
(ii) डी.एम.आई.सी. पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, तथा
(iii) डी.एम.आई.सी. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखे गये.

7. राजस्व मंत्री द्वारा घोषणा
तहसीलदार को निलंबित किया जाना

राजस्व मंत्री द्वारा घोषणा की गई कि मेरे विभाग से एक तहसीलदार एक आदिवासी को थप्पड़ मारते हुए वायरल हो रहा है. चूंकि एक किसान हमारा मालिक है इसलिए मैं उसको निलंबित करने की घोषणा करता हूं.

8. ध्यानाकर्षण

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले में पाला एवं तुषार से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति एवं
(2) श्री महेश परमार, सदस्य, प्रदेश में स्थापित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रयोगशालाओं में अनियमितता होने संबंधी ध्यानाकर्षण की कार्यसूची में अंकित दोनों सूचनाएँ सदस्यगण की अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गईं.

9. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्न सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य (जिला-दतिया)
(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य (जिला-रतलाम)
(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य (जिला-कटनी)
(4) श्री केशव देसाई, सदस्य (जिला-भिण्ड)
(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य (जिला-श्योपुर)
(6) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
(7) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य (जिला-मैहर)
(8) श्री विपिन जैन, सदस्य (जिला-मन्दसौर)
(9) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य (जिला-रतलाम)
(10) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य (जिला-अनूपपुर)
(11) श्री अनिल जैन, सदस्य, (जिला-निवाड़ी)
(12) श्री सुरेश राजे, सदस्य (जिला-ग्वालियर)
(13) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य (जिला- धार)
(14) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य (जिला-ग्वालियर शहर)
(15) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य (जिला- मण्डला)
(16) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(17) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य (जिला-शिवपुरी)
(18) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(19) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य (जिला-अलीराजपुर)
(20) श्री अभय मिश्रा, सदस्य (जिला-रीवा)
(21) श्री बाला बच्चन, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(22) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य (जिला-धार)

10. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अगले सत्र से ''अवेदनों की प्रस्तुति '' को पूर्वानुसार '' याचिकाओं की प्रस्तुति'' माना जाएगा

11. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परंपरानुसार अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है अत: उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जायें. तदनुसार श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-

"दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 48, 50, 52, 54 तथा 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त

राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर अट्ठाईस हजार छ: सौ पचपन करोड़, पंद्रह लाख, तेरह हजार, एक सौ बयालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

12.अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि चूँकि आज सदन को निरंतरित रखेंगे इसलिए भोजनावकाश नहीं होगा. सदन की लॉबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें. प्रेस के लिए भी उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी.

13. वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.(क्रमशः)

वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

(1) श्री रामनिवास रावत

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी) पीठासीन हुईं
सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए

(2) श्री अभय कुमार मिश्रा
(3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(4) डॉ.सीतासरन शर्मा
(5) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(6) श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी
(7) डॉ.रामकिशोर दोगने

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

(8) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(9) डॉ.हिरालाल अलावा
(10) श्री सुरेश राजे
(11) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(12) श्री नीलेश पुसाराम उइके
(13) एडवोकेट श्रीमती निर्मला सप्रे
(14) श्री आरिफ मसूद

(15) श्री पन्नालाल शाक्य
(16) श्री भैरों सिंह "बापू"
(17) श्री कैलाश कुशवाहा
(18) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार
(20) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे

14. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय कार्य बाद में लिए जाने विषयक.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि - "मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत हैं" परन्तु आज की कार्यसूची में उल्लेखित राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर एक घंटा चर्चा होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जाएगा.

15. वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री(वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)
खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

17. अध्यक्षीय व्यवस्था

विनियोग विधेयक की कॉपी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाने विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा विनियोग विधेयक की कॉपी उपलब्ध न करवाए जाने पर आपत्ति दर्ज की, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, "संसदीय कार्य मंत्री जी, इस बात का आगे से विशेष ध्यान रखा जाए कि जो प्रपत्र पहले से सदस्यों को मिलना चाहिए, वह तत्समय मिले, यह सरकार सुनिश्चित करे." इस पर श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त किया गया कि आपके निर्देश का निश्चित रूप से पालन किया जाएगा.

18. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनाँक 7 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

इस पर निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

(9) श्री रामनिवास रावत

सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए.

(10) श्री फूलसिंह बरैया
(11) श्री दिलीप सिंह परिहार
(12) श्री अभय कुमार मिश्रा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(13) श्री सिद्धार्थ तिवारी
(14) श्री लखन घनघोरिया

19. अध्यक्षीय घोषणा

कार्यसूची में अंकित दो अशासकीय संकल्प अगले अशासकीय कार्य के दिन लिया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में अंकित अशासकीय संकल्पों पर सर्वश्री संतोष वरकड़े एवं सुदेश राय सदस्यों के अनुरोध पर इन्हें अगले अशासकीय कार्य के दिन उनको शामिल किया जाएगा.

20.अशासकीय संकल्प

(3) श्री अभय कुमार मिश्रा ने रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया में नेशनल हाई वे अथॉरिटी आफ इंडिया की कई वर्ष पूर्व घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सतना-सेमरिया एवं सेमरिया बायपास (रिंग रोड) होकर सिरमौर – डभौरा मार्ग का निर्माण किए जाने संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा इस संकल्प पर उत्तर दिया गया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

अपराह्न 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार दिनाँक 12 फरवरी, 2024 (23 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 (माघ 23, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 128 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 133 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा बैतूल जिले में एक आदिवासी का अपहरण किए जाने संबंधी घटना पर शासन से वक्तव्य देने की मांग संबंधी मौखिक उल्लेख किया गया.

3. अध्यक्षीय घोषणा

नियम 267 क- के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ आज अपराह्न में कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री के उत्तर के बाद ली जाएँगी.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा -

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट

पटल पर रखे गए.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा-

(क) मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 तथा

(ख) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 8 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

पटल पर रखे गए.

(3) श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22 पटल पर रखा गया.

(4) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा -

(क) (i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 (30 जून, 2023 को समाप्त अकादमिक वर्ष) व

(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी जिला-कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं

(ग) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखे गए.

(5) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखा गया.

(6) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति द्वारा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा गया.

5. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि, "माननीय सदस्यों को सत्र से संबंधित साहित्य का वितरण सूचना कार्यालय स्थित खानेदार अलमारी से किया जाता है. यह देखा गया है कि कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा अपनी खानेदार अलमारी से साहित्य नहीं उठाया जा रहा है, जिससे अलमारियाँ भर गई हैं और साहित्य रखने की जगह नहीं है. अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सूचना कार्यालय में जाकर खानेदार अलमारी से प्रत्येक दिवस साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें."

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में पदस्थ विद्युत कर्मियों द्वारा कृषि उपभोक्ताओं पर नियम विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण बनाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा (कुछ विलम्ब से उपस्थित होकर) वक्तव्य दिया गया.

(2) श्री अनिल जैन (निवाड़ी), सदस्य द्वारा निवाड़ी जिला प्रारंभ होने से लंबी अवधि के बाद भी विभागों को डी.डी.ओ. कोड प्रदाय न करने की ओर उप मुख्यमंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित किया गया.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वक्तव्य दिया.

7. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों के आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य (जिला-दतिया)
(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य (जिला-रतलाम)
(3) श्री केशव देसाई, सदस्य (जिला- भिण्ड)
(4) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य (जिला-मैहर)
(5) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य (जिला- आगर-मालवा)
(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य (जिला-शिवपुरी)
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य (जिला-भोपाल शहर)
(8) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य (जिला-दतिया)
(9) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य (जिला- बड़वानी)
(10) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य (जिला-पन्ना)
(11) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य (जिला-रतलाम)
(12) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य (जिला-छिन्दवाड़ा)
(13) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
(14) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
(15) इंजी. श्री प्रदीप लारिया, सदस्य (जिला-सागर)
(16) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य (जिला-अनूपपुर)
(17) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य (जिला-धार)
(18) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य (जिला- ग्वालियर शहर)

(19) श्री विपिन जैन, सदस्य (जिला- मंदसौर)
(20) श्री दिनेश राय, सदस्य (जिला-सिवनी)
(21) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य (जिला-शहडोल)
(22) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य (जिला- ग्वालियर शहर)
(23) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य (जिला-कटनी)
(24) सुश्री रामश्री राजपूत, सदस्य (जिला-छतरपुर)
(25) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य (जिला-धार)
(26) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य (जिला-खरगोन)
(27) श्री अनिल जैन, सदस्य (जिला-निवाड़ी)
(28) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य (जिला-अलीराजपुर)
(29) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य (जिला-धार)
(30) श्री मधु भाउ भगत, सदस्य (जिला- बालाघाट)
(31) श्री अभय मिश्रा, सदस्य (जिला-रीवा)
(32) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(33) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य (जिला-बालाघाट)
(34) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य (जिला-बालाघाट)
(35) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य (जिला-खरगोन)
(36) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य (जिला-भिण्ड)

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

सदन द्वारा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 38-देवरी से निर्वाचित सदस्य, श्री बृजबिहारी पटेरिया को विधान सभा के फरवरी, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

9. वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2016-17 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन किया गया.

10. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन किया गया.

11. वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन किया गया.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पुरःस्थापित किया गया.
(2) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री की अनुपस्थितिवश प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पुरःस्थापित नहीं हो सका.

13. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) का पुर:स्थापन करने के समय, श्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री की सदन में अनुपस्थिति पर आपत्ति उठाई गई. इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि "मैं संसदीय कार्य मंत्री से बात करूँगा, आपकी आपत्ति बिल्कुल ठीक है. उप मुख्यमंत्री (वित्त) जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी को अवगत कराएँ कि जब मंत्रियों का बिजनेस हो तो उनको गंभीरता से सदन में उपस्थित होना चाहिए."

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पुरःस्थापित किया गया.

15. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 7 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 8 एवं 9 फरवरी 2024 को हुई चर्चा के क्रम में,निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(15) डॉ.अभिलाष पाण्डेय
(16) श्रीमती झूमा डॉ.ध्यान सिंह सोलंकी
(17) डॉ.योगेश पण्डाग्रे

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

(18) श्री प्रताप ग्रेवाल
(19) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
(20) श्री कमलेश्वर डोडियार
(21) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(22) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(23) श्री राजेश कुमार वर्मा
(24) श्री दिनेश जैन "बोस'
(25) श्री महेश परमार
(26) एडव्होकेट श्रीमती निर्मला सप्रे
(27) श्री रामनिवास शाह

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

(28) श्रीमती अनुभा मुंजारे
(29) डॉ.तेजबहादुर सिंह चौहान
(30) श्रीमती सेना महेश पटेल
(31) श्री प्रीतम लोधी
(32) श्री चैन सिंह बरकड़े
(33) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(34) श्री दिनेश गुर्जर
(35) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
(36) श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया गया.

16. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी के जवाब और शून्यकाल की कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है.

17.बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में काँग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के उत्तर का विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.

18. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.(क्रमशः)

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उत्तर पूर्ण किया गया.
(संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया.)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए.
कृतज्ञता ज्ञापन स्वीकृत हुआ.

19. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री हरिसिंह सप्रे, सदस्य द्वारा विदिशा जिले में जल जीवन मिशन कार्य में अनियमितता होने,

(2) श्री गोपाल सिंह, सदस्य द्वारा सेल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मेहतवाड़ा, जिला सीहोर में कर्मचारियों एवं मजदूरों के वेतन का भुगतान नहीं होने,

(3) श्री महेश नागेश, सदस्य द्वारा नरसिंहपुर में ओव्हर लोडिंग वाहनों से सड़कों एवं पुलों को बचाने,

(4) डॉ.तेजबहादुर चौहान, सदस्य द्वारा नागदा स्थित ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत मजदूरों को वेतनमान एवं अन्य हितलाभ दिए जाने,

(5) श्री जितेन्द्र उदय सिंह पंड्या, सदस्य द्वारा बड़नगर विधान सभा क्षेत्र को नर्मदा, गंभीर समूह जल प्रदाय योजना से जोड़ने एवं

(6) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य द्वारा जबलपुर जिले की आधारताल तहसील में राजस्व अभिलेख उपलब्ध न होने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी गईं.

अपराह्न 6.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनाँक 13 फरवरी, 2024 (24 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 (माघ 24, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1. अध्यक्षीय घोषणा

प्रश्नकाल में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों एवं महिला सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तरों को प्राथमिकता दी जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि- "आज प्रश्नकाल हेतु प्रथम बार निर्वाचित माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नों को ही शलाका के माध्यम से चयनित किया गया है." आसन्दी द्वारा महिलाओं को अपनी और सदन की ओर से बधाई दी गई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से कुल 9 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2,,3,4,5,6,7,8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 153 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 148 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम 267 क- के अधीन विषय संबंधी सूचनाएँ कार्यसूची में अंकित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ली जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ आज की कार्यसूची में अंकित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ली जाएँगी.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से यह अनुरोध किया गया कि यह नियम 267 क- के अधीन विषय शून्यकाल की सूचनाओं की जो व्यवस्था है उसको पूर्वानुसार प्रश्नकाल के बाद ही रहने दें, क्योंकि यदि यह कार्य आखिरी में आता है तब अनेक सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रह पाते हैं और न ही इसके लिए सरकार की तरफ से कोई जवाबदेह उपस्थित रह पाता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - "अभी नये माननीय सदस्य ज्यादा थे इसलिए मेरी कोशिश यह थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिल जाए. अगर आप सबकी इच्छा रहेगी तो अगली बार से जैसा चलता है, वैसा चलता रहेगा. आप (नेता प्रतिपक्ष) और संसदीय कार्य मंत्री जी परस्पर विचार कर लें."

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश के अनेक बेरोजगारों की परीक्षाओं का रिजल्ट न आ पाने से बेरोजगारों को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है इस पर सरकार द्वारा वकव्य दिए जाने संबंधी मांग का उल्लेख किया गया.

(2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य द्वारा (पर्चा दिखाते हुए) विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों का आवंटन न होने और सरकार से इसकी जाँच किए जाने संबंधी मांग का उल्लेख किया गया.

अध्यक्ष महोदय, द्वारा सदन को सूचित किया गया कि- "अभी पत्रों को पटल पर रखा जाएगा एवं ध्यानाकर्षण लिए जाएँगे. अंत में शून्यकाल लिया जाएगा.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) द्वारा दैनिक कार्यसूची में अंकित बिन्दु 1 से 40 तक की अधिसूचनाएँ पटल पर रखी गईं.

(2) श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री द्वारा दैनिक कार्यसूची में अंकित बिन्दु 1 से 12 तक की अधिसूचनाएँ पटल पर रखी गईं.

(3) श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020-21 पटल पर रखी गई.

(4) कुँवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा गया.

(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1846-मप्रविनिआ-2023, दिनांक 17 अगस्त, 2023 पटल पर रखी गई.

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा-

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(ii) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का 55वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022-23,

(iii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (01 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक), तथा

(ख) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, पटल पर रखे गये.

(7) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन द्वारा-

कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखे गये.

(8) श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखा गया.

(9) श्री लखन पटैल, राज्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी द्वारा मध्यप्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 पटल पर रखे गये.

(10) श्री दिलीप सिंह अहिरवार, राज्यमंत्री वन द्वारा-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 61 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23,

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला सिंगरौली, दमोह एवं नीमच के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, तथा

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 पटल पर रखे गए.

6.ध्यानाकर्षण

(कार्य सूची में अंकित प्रथम ध्यानाकर्षण के सूचनाकर्ता सदस्य की तत्समय अनुपस्थितिवश पहले द्वितीय ध्यानाकर्षण लिया गया तदनंतर प्रथम ध्यानाकर्षण भी सदस्य के उपस्थित होने पर लिया गया.)

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा रीवा जिले सहित पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय न बढ़ाये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

7. बहिर्गमन

श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य द्वारा प्रदेश के पंचायती राज के निर्वाचित पंचों के साथ हो रहे कथित अन्याय के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

8. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य द्वारा सतना के चित्रकूट क्षेत्र में बाणसागर नहर सिंचाई योजना का लाभ कृषकों को न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया.
श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

9. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य (जिला- दतिया)
(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य (जिला- रतलाम)
(3) श्री केशव देसाई, सदस्य (जिला- भिण्ड)
(4) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य (जिला- ग्वालियर)
(5) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य (जिला- अलीराजपुर)
(6) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य (जिला- भिण्ड)
(7) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य (जिला- दतिया)
(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य (जिला- श्योपुर)
(9) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य (जिला- कटनी)
(10) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य (जिला- मण्डला)
(11) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य (जिला- मैहर)
(12) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य (जिला- निवाड़ी)
(13) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य (जिला- बालाघाट)
(14) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य (जिला- बालाघाट)
(15) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य (जिला- शिवपुरी)
(16) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य (जिला- आगर-मालवा)
(17) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य (जिला- ग्वालियर)
(18) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य (जिला- धार)
(19) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य (जिला- टीकमगढ़)
(20) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य (जिला- पन्ना)
(21) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य (जिला- रतलाम)
(22) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य (जिला- खरगोन)
(23) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य (जिला- अनूपपुर)
(24) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य (जिला- धार)
(25) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य (जिला- सिवनी)
(26) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य (जिला- बालाघाट)
(27) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य (जिला- रतलाम)
(28) श्री दिनेश राय, सदस्य (जिला- सिवनी)
(29) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य (टीकमगढ़)
(30) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य (जिला- बड़वानी)
(31) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य (जिला- रीवा)
(32) सुश्री रामश्री राजपूत,(बहिन रामसिया भारती) सदस्य (जिला-छतरपुर)
(33) श्री बाला बच्चन, सदस्य (जिला- बड़वानी)
(34) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य (जिला- बड़वानी)
(35) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य (जिला- छिन्दवाड़ा)

(36) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य (जिला- कटनी)
(37) श्री विपिन जैन, सदस्य (जिला- मंदसौर)
(38) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत), सदस्य (जिला- भोपाल शहर)
(39) इंजीनियर गोपाल सिंह, सदस्य (जिला-सीहोर)
(40) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य (जिला- राजगढ़)
(41) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य (जिला- हरदा)
(42) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य (जिला- जबलपुर शहर)
संबंधी आवेदनों (याचिकाओं) को सदन में प्रस्तुत हुआ माना गया.

10. शासकीय संकल्प

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 संबंधी शासकीय संकल्प (आंसदी की अनुमति से संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ.)

कुँवर विजय शाह, पर्यावरण मंत्री, द्वारा सदन को सूचित किया गया कि "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974" में संशोधन करने के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम संशोधन विधेयक संसद में लाने के पक्ष में, राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के लिए राज्य शासन से अनुरोध किया गया था, किन्तु चूँकि दिनाँक 8 फरवरी 2024 को यह संसद में पारित हो चुका है इसलिए इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ.

आसंदी द्वारा अनुमति से संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ.

11.अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि- "आज की कार्यसूची के पद 6, "शासकीय विधि विषयक कार्य" के अन्तर्गत उप पद (1) एवं (2) में उल्लिखित विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, स्थायी आदेश की कंडिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिए जाने की अनुमति प्रदान की है."

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री द्वारा प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया.
(2) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया.
(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पर विचार किया जाय.
श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा विधेयक में संशोधन के उद्देश्य की जानकारी दी. विधेयक पर श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री गौतम टेटवाल ने प्रस्ताव किया कि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ

(5) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-
(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) कुँवर अभिजीत शाह
श्री जगदीश देवड़ा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ

13. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में काँग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पर उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर) के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पर विचार किया जाय.
श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.
श्री इन्दर सिंह परमार ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव से स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ

15. स्वागत उल्लेख
इन्दौर प्रेस क्लब के पत्रकारगण का स्वागत उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इन्दौर प्रेस क्लब के 35 पत्रकारों का विधान सभा भ्रमण एवं दीर्घा में उपस्थिति के लिए सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

16.वर्ष 2013-14 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि-

"दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 02 एवं 21 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को अठारह करोड़, अठारह लाख, चालीस हजार रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

(1) श्री बाला बच्चन

(2) श्री रामनिवास रावत

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(अपराह्न 1.29 से 3.07 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

18. वर्ष 2016-17 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया कि-

"दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 02 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को तेईस करोड़, सतहत्तर लाख, एक सौ अठासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय."

आधिक्य मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

19. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

20. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा

वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-
(1) श्री अभय कुमार मिश्रा
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह
(3) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

सभापति महोदय (श्री अजय विश्नोई) पीठासीन हुए

(4) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर
(5) श्री गौरव सिंह पारधी
(6) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(8) श्री कमलेश्वर डोडियार
(9) डॉ.योगेश पण्डाग्रे

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

21.अध्यक्षीय घोषणा

सदन की परम्परा अनुसार लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक बिना चर्चा के पारित किया जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह सूचित किया गया कि-

"यह परम्परा रही है कि लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण बजट के आने पर विभागवार मांगों पर विस्तृत चर्चा का अवसर सदस्यों को मिलता ही है."

22. वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया कि -

"दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 के एक भाग अर्थात् प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल एक लाख उन्नीस हजार चार सौ तिरेपन करोड़, चार लाख, सतहत्तर हजार रुपये की धनराशि जो पृथकत: वितरित लेखानुदान की मांगों के

स्तम्भ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जाएं."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

23. वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों पर संशोधन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 155(2) के तहत वर्ष 2024-25 के लेखानुदान की मांगों में संशोधन की एक सूचना प्राप्त हुई है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि- अनुसूची में इस प्रकार संशोधन किया जाय, अर्थात्

"संपूर्ण अनुदान कम करने के लिए अनुदान संख्या 002 विमानन, 011 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, 032 जनसंपर्क, 041 प्रवासी भारतीय, 045 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, 046 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 057 आनंद विभाग को कम करके उनके स्थान पर गेहूँ खरीदी के लिए 2700/- रुपये प्रति क्विंटल खरीदी करने के लिए बजट में प्रावधान रखा जाए एवं लाड़ली बहनाओं को 3000/- रुपये प्रतिमाह एवं हरदा विस्फोट हादसे में प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए राशि का प्रावधान किया जाए.''

(संशोधन का) प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से अनुरोध किया गया कि श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा लेखानुदान पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जबकि लेखानुदान पर कटौती प्रस्ताव नहीं आता है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह कटौती प्रस्ताव नहीं हैं. विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 155 (2) के अंतर्गत लेखानुदान में राशि कम करने के लिए संशोधन दिए जा सकते हैं. उसी के तहत अध्यक्षीय अनुमति से मैंने यह संशोधन दिया है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- "संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय सदस्य से उक्त संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध किया जा सकता है, बाकी वह संशोधन नियम के अधीन होने के कारण उनको स्वीकृति दी गई है."

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा लेखानुदान में संशोधन संबंधी उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया गया.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य ने प्वाईंट आफ ऑर्डर के माध्यम से यह कथन किया कि नियम 155 (2) में किसी अनुदान को कम करने का लिखा है किन्तु माननीय सदस्य अपने भाषण में बढ़ाने की बात कर रहे हैं. साथ ही, नियम 155 (3) का आशय यह है कि ऐसे लेखानुदान प्रस्ताव पर या उसमें संशोधन पर केवल सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति होगी, अनुदान संबंधी अधिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन वह भी आप कर रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत द्वारा संशोधन पर चर्चा के साथ ही अन्य प्रावधानों एवं मांगों के संबंध में सुझाव के साथ भाषण देने पर श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी प्वाईंट आफ ऑर्डर उठाया गया कि, "नियम 155 (3) के अनुसार संशोधन के अतिरिक्त अधिक भाषण नहीं हो सकता है" और यह भी निवेदन किया कि माननीय सदस्य इस संशोधन को वापस ले लें.

श्री रामनिवास रावत को आसंदी द्वारा आग्रहपूर्वक समझाईश देते हुए यह व्यवस्था दी गई कि- "आप संशोधन को पढ़ने के बाद यदि संक्षेप में कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं, बाकी इसमें लंबे भाषण नहीं दे सकते हैं..... माननीय सदस्य को संशोधन तक ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि मद संख्या के साथ काफी जानकारी संशोधन के अंतर्गत ही पढ़ दी है. अब उसमें आगे कुछ कहने को कायदे में है ही नहीं." तथापि श्री रामनिवास रावत द्वारा लेखानुदान की मांगों के संबंध में विस्तृत रूप से एवं अनेक विभागों में बजट प्रावधान तथा अनुदान की राशि को बढ़ाने के संबंध में सुझाव देने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः उन्हें बताया गया कि किसी प्रावधान को बढ़ाने की बात इस संशोधन प्रस्ताव में नहीं हो सकती है, केवल घटाने की बात हो सकती है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा अपना भाषण पूर्ण किया गया. अंत में श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा श्री रामनिवास रावत, सदस्य से अनुरोध किया गया कि वे लेखानुदान में दिए गए संशोधन को वापस ले लें और लेखानुदान को सर्वानुमति से पारित कराएँ.(श्री रामनिवास रावत द्वारा संशोधन वापस करने हेतु संसदीय कार्य मंत्री के स्थान पर वित्त मंत्री को अनुरोध की परंपरा है, यह कहने पर) मैं इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हूँ.

हम सब की संयुक्त जवाबदारी है इसलिए साधारणतः संसदीय कार्य मंत्री ही अनुरोध करता है. संसद की प्रक्रिया के अंदर भी संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका होती है कि वह यह निवेदन करता है कि सदस्य संशोधन वापस ले लें. श्री रामनिवास रावत द्वारा इस पर यह कथन किया गया कि- वैसे यदि सदन में मंत्री महोदय की उपस्थिति नहीं है तब संसदीय कार्य मंत्री अनुरोध करता है. फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूँ तथा संशोधन वापिस लेता हूँ. श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा भी उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री रामनिवास रावत, सदस्य से लेखानुदान में संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया गया.

आसंदी द्वारा संशोधन को वापस लेने की अनुमति देने के संबंध में सदन का मत लिया गया.

(ध्वनि मत से) सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई.

संशोधन वापस हुआ.

24. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सर्वानुमति से विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी.

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) पारित किया जाए.

सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

25.नियम 267-क के अधीन विषय

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी गईं:-

(1) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र सुसनेर,जिला आगर मालवा अंतर्गत कंडलिया बांध परियोजना में डूब क्षेत्र के मुआवजा वितरण में भारी अनियमितताएं होना,
(2) श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य की सौंसर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पठरा नाई में नहर का निर्माण किया जाना,
(3) श्री दिनेश जैन "बोस" , सदस्य की महिदपुर विधान सभा में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिल के नोटिस दिया जाना,
(4) एड.श्रीमती निर्मला सप्रे, सदस्य की बीना विधान सभा क्षेत्र के खिमलासा टप्पा में राजस्व विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति की जाना,
(5) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य की विकासखण्ड वारासिवनी जिला बालाघाट के अंतर्गत ग्राम नांदगांव में डोकरिया जलाशय का निर्माण किया जाना,
(6) श्री विपिन जैन , सदस्य की मंदसौर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया जाना,
(7) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत मध्यप्रदेश आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठकों के निर्णयों का अक्षरश: पालन नहीं किया जाना,
(8) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की बड़वानी में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान किया जाना,
(9) डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य की प्रदेश में नर्मदा घाटी से प्राप्त अवशेषों को एकत्रित कर नर्मदा संग्रहालय बनाया जाना,

26. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

27. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमशः)

(10) श्री सुरेश राजे, सदस्य की हरसी बांध की मुख्य नहर और माइनर नहरों की मरम्मत की जाना

(11) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की विदिशा की लटेरी में आदिवासियों की अधिग्रहित भूमि का मुआवज़ा न दिया जाना,

(12) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की बालाघाट के विकासखंड परसवाड़ा के ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अनियमितता किया जाना,

(13) डॉ.हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर विधान सभा के देवरा पंचायत स्थित शिव मंदिर का संरक्षण किया जाना,

(14) श्री बाला बच्चन, सदस्य की राजपुर के ग्राम पंचायत अवली के ग्राम गोलाटा एवं तक्यापुर में जल संकट होना,

(15) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की अटेर जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत निवारी एवं महेवा में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना,

(16) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों को शासकीय मानदेय न दिया जाना,

(17) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की भोपाल और प्रदेश में गुमाश्ता कानून का समान रूप से पालन कराया जाना एवं

(18) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की मध्यप्रदेश में आवारा कुत्तों के काटने से जानमाल का नुकसान होना.

अपराह्न 5.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनाँक 14 फरवरी, 2024 (25 माघ, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 (माघ 25, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए

1.बधाई एवं शुभकामनाएँ

बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सदन को बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में संपूर्ण सदन को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1,2,3,4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 139 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 160 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1783) नल-जल योजनाओं संबंधी विधायकों के प्रश्नों की जाँच समय-सीमा में पूरी कराये जाने संबंधी मांग पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा दि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश के 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखा गया.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री द्वारा वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2020-21 पटल पर रखे गए.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

बैतूल जिले मे एक आदिवासी युवक पर अत्याचार की घटना संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना का उल्लेख

श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्यों द्वारा बैतूल जिले मे एक आदिवासी युवक को नग्न करके, उल्टा टांगकर उसकी बेरहमी से पिटाई किए जाने संबंधी अत्याचार की घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिए जाने का उल्लेख किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- श्री रामनिवास रावत, सदस्य की यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज पूर्वाह्न 9.50 बजे प्राप्त हुई है, जो उत्तर के लिए विभाग को भेजी गई है.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

(श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के आसन के पास कुछ माननीय सदस्यों के आसंदी की तरफ पीठ करके चर्चारत होने पर)

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के पूर्व सदन में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर परस्पर बात करने से कार्यवाही में व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि- ''कृपया सदन में माननीय सदस्य आपस में खड़े

होकर बात न करें, यह उचित नहीं है, आपको अपने आसनों पर बैठना चाहिए. सदन चलते समय परस्पर बातचीत न करें.''

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि कभी भी आसंदी की तरफ पीठ करके खड़े नहीं होना चाहिए, माननीय सदस्य जब भी अपने आसन पर बैठें या उठें तो नमन करें, यह संसदीय परंपरा है, इसका जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए.

डॉ.कुँवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा यह अनुरोध किया गया कि बिना आसंदी की अनुमति के किसी माननीय सदस्य का माईक भी चालू नहीं रहना चाहिए.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले में आर. बी. सी. नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर नगर का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सभापति महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) डॉ. हिरालाल अलावा (डॉ. रामकिशोर दोगने, श्री फुन्देलाल सिंह मार्को) सदस्य, प्रदेश की मृदा परीक्षण प्रयोग शालाएं बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.
श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भँवर सिंह शेखावत, सदस्य द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया.

(4) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड नगर पालिका परिषद् में आर्थिक अनियमितता होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.
तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि- अब, मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (14) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, संबंधित सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुईं तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े माने जाएँगे तद्नुसार:-

(5) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य नवीन मैहर जिले में विभागों के प्रशासकीय कार्यालय भवन न बनाए जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिष्ठाता की भर्ती में आरक्षण का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य.

(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा से अनेक छात्र-छात्राएं परीक्षा देने से वंचित होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(8) सर्वश्री राजेन्द्र भारती, रामनिवास रावत, सदस्यों की सचूनाएँ दतिया एवं आसपास के जिलों में निजी खातेदारों के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को शासकीय घोषित किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री अरूण भीमावद, सदस्य शाजापुर बस स्टैण्ड पर बनाई जा रही दुकानों का कार्य भुगतान के अभाव में बंद होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य इंदौर-बुधनी रेलमार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य गुन्नौर क्षेत्र के नगर परिषद् ककहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(12) इंजी. श्री प्रदीप लारिया, सदस्य सागर जिले के नरयावली क्षेत्र में नल जल योजना का कार्य पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री किसान अनुदान योजना का लाभ कृषकों को न मिलने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री रामनिवास रावत, सदस्य श्योपुर जिले के वीरपुर थाना स्वत्व की जमीन पर अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य प्रस्तुत हुए माने गए.

8. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार:-

(1) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य (जिला-दतिया)
(2) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य (जिला-रतलाम)
(3) श्री केशव देसाई, सदस्य (जिला-भिण्ड)
(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य (जिला-हरदा)
(5) श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य (जिला-भोपाल शहर)
(6) चौधरी सुजीत मेर सिंह, सदस्य (जिला-छिन्दवाड़ा)
(7) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य (जिला-मैहर)
(8) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य (जिला-रतलाम)
(9) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य (जिला-भिण्ड)
(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य (जिला-श्योपुर)
(11) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य (जिला-ग्वालियर शहर)
(12) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य (जिला-शिवपुरी)
(13) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
(14) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य (जिला-बालाघाट)
(15) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य (जिला-बालाघाट)
(16) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य (जिला- धार)
(17) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य (जिला-धार)
(18) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य (जिला-कटनी)
(19) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य (जिला-शिवपुरी)
(20) श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य (जिला-झाबुआ)
(21) श्री विपिन जैन, सदस्य (जिला-मंदसौर)
(22) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य (जिला-उज्जैन)
(23) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य (जिला-रतलाम)
(24) श्री अनिल जैन, सदस्य (जिला-निवाड़ी)
(25) श्री सुरेश राजे, सदस्य (जिला-ग्वालियर शहर)
(26) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य (जिला-ग्वालियर)
(27) श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(28) श्री श्याम बरडे, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(29) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य (जिला-दतिया)
(30) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)
(31) श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य (जिला-खरगोन)
(32) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, (जिला-पन्ना)
(33) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य (जिला- छिन्दवाड़ा)
(34) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य (जिला-अनूपपुर)
(35) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(36) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य (जिला-टीकमगढ़)

(37) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, (जिला-सिवनी)
(38) इंजी. श्री गोपाल सिंह, सदस्य (जिला-सीहोर)
(39) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य (जिला-मण्डला)
(40) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य (जिला-अलीराजपुर)
(41) इंजीनियर श्री प्रदीप लारिया, सदस्य (जिला-सागर)
(42) श्री अभय मिश्रा, सदस्य (जिला-रीवा)
(43) श्री अमरसिंह यादव, सदस्य (जिला-राजगढ़)
(44) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य (जिला-बालाघाट)
(45) श्री बाला बच्चन, सदस्य (जिला-बड़वानी)
(46) डॉ. अभिलाष पाण्डेय, सदस्य (जिला-जबलपुर शहर)
(47) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य (जिला-अनूपपुर)
(48) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य (जिला-मुरैना)
(49) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य (जिला-सागर शहर)
(50) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य (जिला-सतना)
(51) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य (जिला-शहडोल)
(52) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्य (जिला-नर्मदापुरम)
(53) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य (जिला-धार)

संबंधी दैनिक कार्यसूची में अंकित आवेदनों (याचिकाओं) को सदन में प्रस्तुत हुआ माना गया.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद) को विधान सभा के फरवरी, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु पुकारे जाने पर, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा किए जाने संबंधी निर्णय न होने के बावजूद भी नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा लेने हेतु आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय द्वारा भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया प्रदेश में ओला/पाला गिरने से फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री सुरेश राजे, ओमकार सिंह मरकाम, लखन घनघोरिया, हेमंत सत्यदेव कटारे एवं सुश्री रामसिया भारती सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

इस चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुरेश राजे
(2) श्री भँवरसिंह शेखावत
(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
(4) श्री साहब सिंह गुर्जर
(5) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(6) श्री कमल मर्सकोले
(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(8) श्री पन्नालाल शाक्य
(9) श्री मधु भाऊ भगत
(10) श्री रामनिवास रावत

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. इस दौरान श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सुझाव सरकार को दिए गए. अध्यक्ष महोदय द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए . डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए कि सत्रोपरांत पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्य परस्पर संवाद कर कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो उस पर शासन द्वारा अवश्य विचार किया जाएगा.

11. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएँ सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री विपिन जैन, सदस्य की प्रदेश के निजी विद्यालयों में गरीब एवं मध्यम वर्ग में आर.टी.ई. का दायरा बढाकर कक्षा 9वीं में 12वीं तक किया जाना,
(2) श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में कृषि कार्य एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न होने के कारण आदिवासियों का पलायन किया जाना,
(3) श्री जितेन्द्र उदयसिंह पण्डया, सदस्य की बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में नीलगाय (घोडारोज) द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पंहुचाया जाना,
(4) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा), सदस्य की विधान सभा क्षेत्र लखनादौन अंतर्गत घंसौर एवं लखनादौन के ग्रामों में हुई अतिवृष्टि से खड़ी फसलों के नष्ट होने से राजस्व टीम गठित कर मुआवजा वितरण किया जाना,

(5) श्री माधव सिंह (मधु गहलोत, सदस्य की) जिला आगर मालवा में आद्यौगिक विकास एवं रोजगार की दृष्टि से नवीन उद्योग स्थापित किया जाना,
(6) श्री विश्वनाथ सिंह, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में हुई वर्षा से लालिया रोग से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा प्रदाय किया जाना,
(7) श्री विवेक विक्की पटेल , सदस्य की खैरलांजी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरलांजी में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना,
(8) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिमरा खास की पहाड़ी पर पत्थर एवं जामनी नदी पर रेत का अवैध उत्खनन किया जाना,
(9) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लल्लेपुरा सेमराबाग भवन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का भवन जर्जर एवं खस्ता हाल में होना,
(10) श्री महेश परमार, सदस्य की आगामी बजट सत्र में बिजली की दरों में वृद्धि न की जाना,
(11) डॉ.हिरालाल अलावा, सदस्य की मनावर में मेला मैदान की लीज वाली बेशकीमती भूमि को लीजधारियों द्वारा भूमि का फर्जी अंतरण एवं नामांतरण कर फर्जी रजिस्ट्री कराया जाना,
(12) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ सैकडों बच्चों को न मिल पाना,
(13) श्री संजय उईके, सदस्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ी, उकवा, मंडई एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र सालेटेकरी में चिकित्सकों की पदस्थापना किया जाना,
(14) श्री सुरेश राजे, सदस्य की डबरा नगर पालिका क्षेत्र ओव्हर ब्रिज के नीचे हाथ ठेला लगाकर गरीब व्यवसाइयों का ठेला जब्त कर सामान फैका जाना,
(15) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी विधान सभा क्षेत्र में पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण परियोजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण कार्य धीमी गति से होना,
(16) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद् क्षेत्रांतर्गत भूमि को कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अधिकारिता विहीन आदेश जारी कर विद्युत को आवंटित किया जाना,
(17) श्री दिनेश जैन बोस, सदस्य की म.प्र. शासन नामांतरण, बटवारे, सीमाकंन के संबंध में शासकीय भूमि की सुरक्षा हेतु अधिकारी गणों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन न किया जाना,
(18) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य की रायसेन जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान न किया जाना,

(19) श्री अभय मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले में जलजीवन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यों में सड़कों को तोडने से उनका मूल स्वरूप नष्ट होना,
(20) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य की भिण्ड जिले के संविदा शिक्षकों को पात्रता होने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक के पद से वंचित किया जाना,
(21) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य की जिला बालाघाट के विभिन्न ग्रामों में आंधी तूफान ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा न दिया जाना,
(22) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य की जिला बड़वानी के अंतर्गत नरेगा के कार्य न होने से ग्रामवासियों के पलायन की स्थिति,
(23) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य की वृद्धावस्था पेंशन बनाये जाने में सरलीकरण किया जाना,
(24) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य की कटनी जिले के बिलहरी से स्लीमनाबाद मार्ग की जर्जर हालत,
(25) डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की नागदा खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों के ग्रामवासियों को पट्टे न मिल पाना,
(26) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य की बालाघाट जिले की तहसील लालबर्रा मुख्यालय में ध्वजारोहण में प्रोटोकाल का पालन न किया जाना,
(27) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य की प्रदेश के कालेजों में कम्प्यूटर साईंस विषय हेतु सहायक प्राध्यापक पद की नियुक्ति कर भर्ती किया जाना,
(28) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के कई ग्रामों में भारी ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा न दिया जाना,
(29) श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र पोहरी में नियमित विद्युत सप्लाई न किया जाना,
(30) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की अटेर विधान सभा क्षेत्र के जवासा में माध्यमिक विद्यालय का अधूरा भवन निर्माण पूर्ण न कराया जाना,
(31) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णत: ध्वस्त होना,
(32) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले के सिविल अस्पताल कन्नौद एवं खातेगांव में मरीजों के उपचार की सुचारू व्यवस्था होना.

12. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा समापन भाषण में यह उद्गार व्यक्त किए गए कि –

मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा का द्वितीय सत्र अब समाप्ति की ओर है। इस सत्र में 06 बैठकें हुईं जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में सदन ने अन्य वित्तीय कार्यों के अलावा वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर लेखानुदान पारित किया वहीं वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इस सत्र में कुल 2303 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें 1163 तारांकित 1140 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 541 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 40 सूचनाएं ग्राह्य हुई। शून्यकाल की 176 सूचनाएं एवं 242 याचिकाएं प्राप्त हुई तथा 08 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये।

माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर, हरदा शहर के ग्राम बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाये गये स्थगन प्रस्ताव पर तथा 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

मध्यप्रदेश विधान सभा अपने नवाचारों के लिये जानी जाती है। इसी क्रम में मेरे द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश में संशोधन किया गया। विधान सभा के किसी कार्यकाल के सत्रों में सदन की बैठकों हेतु प्राप्त प्रश्नों की वे सूचनाएं, जो स्वीकृत होकर विभागों को उत्तर हेतु भेजी जा चुकी हों, के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर सभा के विघटन के ठीक पूर्व तक प्राप्त नहीं होने पर, सभा के विघटन पर व्यपगत मानी जाती थीं, अब विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इस संबंध में प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। **(मेजों की थपथपाहट)**

पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्य अपनी क्षेत्र की समस्याएं प्राथमिकता से उठा सकें इस हेतु मेरे द्वारा उन्हें सदन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया गया तथा महिला सदस्यों के प्रश्नों को प्राथमिकता दी गई। शून्यकाल में जनहित के विषय उठाने के लिए भी अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने हेतु जहां शून्यकाल की नये सदस्यों की सूचनाएं अधिक ली गई, वहीं शून्यकाल अपराह्न में लिया गया, इससे सदन की बैठक के अंत तक उपस्थिति भी अच्छी रही। वहीं भोजनावकाश स्थगित कर एवं सदन के समय में वृद्धि कर अनेक विषयों पर चर्चाएं पूर्ण कराई गईं।

विधायी सदन डिबेट, डॉयलॉग, डिस्कशन के केन्द्र होते हैं, जहां इनके माध्यम से जनता की आवाज को स्वर दिये जाते हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और कार्यपालिका का मार्गदर्शन भी किया जाता है। इस दृष्टि से इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर 36 एवं वित्तीय कार्यों पर 32 सदस्यों द्वारा की चर्चा इस बात का प्रतीक है कि माननीय सदस्य कितने गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय कार्य प्रणाली के लिए शुभ संकेत है।

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी माननीय मंत्रीगणों, सभापति तालिका के सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, विधान सभा प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं।

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि तथा होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूं।

अगले सत्र में हम सब पुन: समवेत होंगे, धन्यवाद।

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि, अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थायी आदेश में जो संशोधन किया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ.

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी विधान सभा के सुचारू संचालन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया गया.

13. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नियम 12 (ख) के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

14. राष्ट्र गान "जन-गण-मन" का समूह गान

(सदन के माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्र गान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.)

15. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 4.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 फरवरी, 2024